रामगुलाम चौक से जेपी गोलंबर तक छह लेन रोड

नए सिरे से बनेगा डिवाइडर आज से शुरू हो सकता है काम

- पेड़, मंदिर बन रहे चौड़ीकरण में बाधक आयुक्त ने दिया था हटाने का निर्देश
- वर्तमान में गांधी मैदान के चारों तरफ है फोर लेन सड़क

जागरण संवाददाता, पटना : गांधी मैदान के पास जेपी गोलंबर से रामगुलाम चौक के बीच की सड़क छह लेन बनेगी। पथ निर्माण विभाग ने इसके लिए अनुमति दे दी है। हाल ही में अतिक्रमण हटने के दौरान यहां काफी जमीन निकली है।

सड़क का डिवाइडर भी नये सिरे से बनेगा। डिवाइडर के दोनों तरफ 11-11 मीटर चौड़ी सड़क होगी। मौजूदा सड़क की चौड़ाई सात मीटर बढ़ाई जा रही है। पथ निर्माण विभाग इस सड़क का निर्माण गुरुवार से कराने की तैयारी में है। हालांकि होटल पनाश के पास स्थित मंदिर को अब तक नहीं हटाया गया है। एक दर्जन पेड़ भी रास्ते में पड़ रहे हैं। प्रमंडलीय आयुक्त ने यहां के पेड़ों की कटाई का निर्देश दिया था। पर्यावरण एवं वन विभाग पेड़ काटने की दिशा में अब तक कार्रवाई प्रारंभ नहीं कर पाया है। इसके बाद भी पथ निर्माण विभाग सड़क चौड़ीकरण करने जा रहा है।

एक्जीबिशन रोड जाना होगा आसान

गांधी मैदान के चारों तरफ फिलहाल फोर लेन की सड़क है। सिर्फ ज्ञान भवन के पास फाइव लेन की सड़क है। जेपी गोलंबर से रामगुलाम चौक के बीच छह लेन की सड़क बनने के बाद एक्जीबिशन रोड फ्लाई ओवर जाने वाले वाहनों को सुविधा होगी। साथ ही, एक्जीबिशन रोड व फ्रेजर रोड गांधी मैदान की तरफ से आना-जाना भी आसान हो जाएगा।

गांधी मैदान के पास बनी इसी पार्किंग की जगह बनेगी सड़क

यातायात पुलिस के सेक्टर इंचार्ज और सिपाही निलंबित

जागरण संवाददाता, पटना : यातायात पुलिस में तैनात एवं बाकरगंज के सेक्टर इंचार्ज और एक सिपाही को ट्रैफिक एसपी ने रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया। यातायात में प्रतिनियुक्त बाकरगंज सेक्टर प्रभारी एएसआई रामदास सिंह और पूर्णिया जिला बल के सिपाही शंकर कुमार सिंह पर वाहन चेकिंग के दौरान वाहन मालिकों से रिश्वत लेकर गाड़ी छोड़ने के आरोप थे। जानकारी के बाद ट्रैफिक एसपी ने मामले की जांच करायी। आरोप सही निकला। इसके बाद यातायात एसपी ने दोनों को निलंबित कर दिया। इस बाबत ट्रैफिक एसपी पीएन मिश्रा ने कहा कि उन्हें सूचना मिली कि दोनों रिश्वत लेकर गलत काम कर रहे हैं। जब उन्होंने सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की तो आरोप सही निकला। इसके बाद दोनों को निलंबित कर दिया गया। साथ ही विभागीय कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए हैं।